दस रुपये TEN RUPEES

236

निग-552-II-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

रामसेवक शर्मा अधि० 15-2-16

15-2-16

जगदीश पिता छोटे तेली, उम्र 50 वर्ष
व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम जियावन
तहसील देवसर जिला सिंगरोली म.प्र.

— निगरानीकर्ता/ आवेदक

बनाम

1. कैलाश पिता बैजनाथ साहू, उम्र 55 वर्ष
व्यवसाय खेती,

2. शोभनाथ पिता छोटेलाल साहू, उम्र 56
वर्ष, पेशा – खेती

3. सन्तराय पिता छोटेलाल साहू, उम्र 52 वर्ष
पेशा खेती, सभी निवासीगण – ग्राम
ढोंगा एवं जियावन,

शोभनाथ पिता मंगाली साहू, ग्राम
जियावन पूर्व से मृत

4-अ मुसम्मात गनेशिया बेवा पत्नी शोभनाथ साहू

4-ब प्रहलाद पिता स्व. शोभनाथ साहू,

4-स कुशामी पुत्री स्व. शोभनाथ साहू,
सभी निवासी ग्राम जियावन तहसील देवसर
जिला सिंगरोली म.प्र.

5. विश्वनाथ पिता बैजनाथ साहू, उम्र 49 वर्ष
पेशा खेती, निवासी – ग्राम जियावन
तहसील देवसर जिला सिंगरोली म.प्र.

— निगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय देवसर तहसील देवसर जिला सिंगरौली म. प्र. के अपीलीय प्रकरण क्र. 176/अपील/ 2013-14 में पारित आदेश। दिनांक 23.1.2016.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता/ आवेदक की ओर से निम्नांकित निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है:-

निगरानी के तथ्य

---

1. यह कि, निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्तागण ग्राम जियावन तहसील देवसर जिला सिंगरोली म.प्र. के मूल रूप से निवासी है तथा साहू जाति के है। जो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते है, जो मूलतः एक ही परिवार के सदस्य है। जो मूल पुरूष स्व. वंशू तेली के वंशज/ वारिसान है।

2. यह कि, निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्तागण के पारिवारिक स्थिति को अधिक स्पष्ट करने के लिये उनका पारिवारिक खानदानी सजरा निम्नानुसार उल्लेखित किया जा रहा है :-

वंशू (मृत)

मंगाली (मृत)	छोटे (मृत)	बैजनाथ (मृत)	छोटिलाल (मृत)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–552–दो / 2016 जिला–सिंगरौली

जगदीश तेली विरूद्ध कैलाश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
~~19-02-2019~~ 20-02-2019	आवेदक की ओर से श्री रामसेवक शर्मा एवं अनावेदक क्रमांक 1 से 3 की ओर से श्री डी.के. पासी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी देवसर, तहसील देवसर जिला–सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 176 / अपील / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23–01–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 20/02/2019 सदस्य	